

मुख्य अभियंता का कार्यालय,  
योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन,  
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक— ..... / राँची, दिनांक—.....

प्रेषक,  
ई० नागेश मिश्र,  
मुख्य अभियंता (मो०)

सेवा में,  
सभी मुख्य अभियंता  
(लघु सिंचाई सहित)  
जल संसाधन विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

विषय:— विभाग अन्तर्गत व्यावसायिक कार्य संस्कृति (Professional work culture) के माह अक्टूबर 2019 के मूल्यांकण प्रतिवेदन प्रेषण में विलम्ब के कारण स्पष्टीकरण की पृच्छा।

प्रसंग:— विभागीय संकल्प निर्गत पत्रांक—1261 दिनांक—04.04.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक—219 दिनांक—03.10.2019

महाशय,  
प्रासंगिक विभागीय संकल्प/पत्र के द्वारा विषयगत मूल्यांकण प्रतिवेदन प्रत्येक क्षेत्रीय/अंचल/प्रमण्डल स्तरीय कार्यालय के द्वारा निर्धारितसमय पर अनिवार्यतः यथा उल्लेखित मेल पर उपलब्ध करा देने हेतु निदेश संसूचित है।

2. तथापि, यथा संलग्न सूची, विभिन्न कार्यालयों से मूल्यांकण प्रतिवेदन विलम्ब से उपलब्ध कराया गया है।
3. निदेशानुसार कहना है कि विलम्ब से प्रेषित मूल्यांकण प्रतिवेदनों के संदर्भ में संबंधित कार्यालय प्रधान दिनांक—16.12.2019 तक स्पष्टीकरण प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, ताकि समेकित प्रतिवेदन आवश्यक समीक्षा/कार्रवाई हेतु अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के संज्ञान में शीघ्र लाया जा सके।

विश्वासभाजन

अनु०—सूची यथा संलग्न।

ह०/—  
(नागेश मिश्र)  
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक— २५९ / राँची, दिनांक— १०/१२/२०१९

प्रतिलिपि:— वेब इन्फॉरमेसन मैनेजर को Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

१०/१२/२०१९  
(नागेश मिश्र)  
मुख्य अभियंता (मो०)